

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1.	District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU	P.S. (थाना): SVB ROHTAK	Year (वर्ष): 2020
	FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0007	Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 14/09/2020 18:22 hrs	

2.	S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
	1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3.	(a)	Occurrence of offence (अपराध की घटना):		
	1	Day (दिन): Monday	Date from (दिनांक से): 14/09/2020	Date To (दिनांक तक): 14/09/2020
		Time Period (समय अवधि): Pahar 6	Time From (समय से): 15:15 hrs	Time To (समय तक): 15:15 hrs
	(b)	Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):		
		Date (दिनांक): 14/09/2020	Time (समय): 17:50 hrs	
	(c)	General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):		
		Entry No. (प्रविष्टि सं.): 010	Date and Time (दिनांक और समय): 14/09/2020 18:00 hrs	

4.	Type of Information (सूचना का प्रकार): Written
----	--

5.	Place of Occurrence (घटनास्थल):	
	1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 35 Km(s)	Beat No. (बीट सं.):
	(b) Address (पता): Jhajjar.	
	(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):	
	District (State) (जिला (राज्य)):	

6.	Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):		
	(a) Name (नाम): रामबीर सिंह		
	(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री सदाराम		
	(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1975	(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA	
	(e) UID No. (यूआईडी सं.):		
	(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):		
	Date of Issue (जारी करने की दिनांक):	Place of Issue (जारी करने का स्थान):	
	(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))		
	S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
	(h) Occupation (व्यवसाय):		
	(i) Address (पता):		
	S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
	1	Present Address	सुबाना, JHAJJAR, HARYANA, INDIA



2 Permanent Address

सुबाना, JHAJJAR, HARYANA, INDIA

(i) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8198986516

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	प्रवीण जे.ई.			1. डीटीपी ऑफिस झज्जर, JHAJJAR, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)



12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे, इंस्पेक्टर स्टेट विजिलेंस इज्जर। श्रीमान जी, मैं रामबीर सिंह सुपुत्र श्री सदाराम गांव सुबाना तहसील व जिला झज्जर का रहने वाला हूँ तथा जमींदार का कार्य करता हूँ। मैंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत रुपये 25 लाख लोन के लिए अप्लाई किया था। सम्बन्धित कार्यालय से आवश्यक अनुमति मिलने उपरान्त मैंने गांव सुबाना में सरोला रोड पर अमृत मिल्क प्रोसेस यूनिट के नाम से निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया। मुख्यालय चण्डीगढ़ से मेरा लोन मंजूर होने उपरान्त हमारे गांव में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में मेरे द्वारा सम्बन्धित कागजात सहित फाईल को जमा करवाने पर बैंक वालों ने कहा कि डी.टी.पी. ऑफिस वालों की एन.ओ.सी. बकाया है, इसके बिना मेरा 25 लाख का लोन मंजूर नहीं हो सकता है। जिस पर मेरे द्वारा डी.टी.पी. इज्जर ऑफिस वालों से मिलने पर ऑफिस वालों के कहे अनुसार मैंने एन.ओ.सी. के लिए ऑनलाइन एप्लाई कर दिया। इसके पश्चात डी.टी.पी. ऑफिस में तैनात हमारे हल्के के प्रवीण जे.ई. से मिलने पर उक्त प्रवीण जे.ई. ने कहा कि 25 लाख का लोन ऐसे ही मंजूर नहीं होता है, लोग महिनों चक्कर काटते हैं, मुझे सेवा पानी के 25 हजार रुपये देने पड़ेगे। जिस पर मैंने 5,000/- प्रवीण जे.ई. को दिनांक 09.09.2020 को दे दिए और मैंने कहा कि 25,000/- रुपये बहुत ज्यादा है, मेरा काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है, खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, रुपये कम करो। इस पर प्रवीण जे.ई. ने कहा कि ठीक है, देखते हैं। मेरे द्वारा दिनांक 14.09.2020 को उक्त प्रवीण जे.ई. से प्रवीण जे.ई. के मोबाइल जाने हैं और बाकी पैसे बाद में। रिश्वत की राशि की लेन-देन के सम्बन्ध में मेरी मेरे मोबाइल फोन नं० 08198986516 से प्रवीण जे.ई. के मोबाइल फोन नम्बर 7988128891 पर दिनांक 11.09.2020 को दिन के लगभग 4.30 बजे व आज दिनांक 14.09.2020 को समय लगभग साढ़े 11 बजे दिन बातचीत हुई है, मैंने उक्त बातचीत की रिकॉर्डिंग पैन ड्राइव में डलवाकर प्रस्तुत कर दी है, जिसमें उक्त आरोपी रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं यह रिश्वत की राशि प्रवीण जे.ई. को नहीं देना चाहता। यदि मैंने प्रवीण जे.ई. को रिश्वत के बच्चे हुए 20000 रु नहीं दिए तो उक्त प्रवीण जे.ई. एन.ओ.सी. जारी नहीं करेगा। प्रवीण जे.ई. के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। हस्ता रामबीर सिंह S.O श्री सदाराम गांव सुबाना तहसील व जिला झज्जर 124109 हरियाणा 08198986516 कार्यवाही पुलिस- आज मैं निरीक्षक जय नारायण स्वयं, सहायक उप निरीक्षक मनोज कुमार, बैल्ट नं० 1136/रेवाड़ी, ई/सहायक उप निरीक्षक जोगेन्द्र सिंह, बैल्ट नं० 866/जी.आर.पी., मुख्य सिपाही सोमबीर, बैल्ट नं० 532/दादरी, ई/मुख्य सिपाही नं० 1136/रेवाड़ी, ई/सहायक उप निरीक्षक जोगेन्द्र सिंह, बैल्ट नं० 866/जी.आर.पी., मुख्य सिपाही सुनील कुमार, बैल्ट नं० 4/335 HAP सहित कार्यालय राज्य चैकरी ब्यूरो, उप केन्द्र, सतीश कुमार, बैल्ट नं० 935/झज्जर व चालक मुख्य सिपाही सुनील कुमार, बैल्ट नं० 4/335 HAP सहित कार्यालय राज्य चैकरी ब्यूरो, उप केन्द्र, झज्जर में उपस्थित हूँ। शिकायतकर्ता रामबीर सिंह सुपुत्र श्री सदाराम गांव सुबाना तहसील व जिला झज्जर द्वारा उपरोक्त शिकायत व 01 लाल रंग का पैन ड्राइव, मार्का सनडिस्क, 16GB मुझे प्रस्तुत किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता रामबीर द्वारा उसकी आरोपी के साथ उक्त प्रकरण में रिश्वत की मांग किए जाने से सम्बन्धित वाईस रिकॉर्डिंग उपलब्ध होनी बतलाई गई है। इस शिकायत के सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया, जिस पर उच्च अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायतकर्ता व आरोपी के मध्य इस प्रकरण में रिश्वत की राशि के लेन-देन को लेकर हुई बातचीत के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त पैन ड्राइव में उपलब्ध डेटा को ट्रांसक्रिप्शन तैयार किए जाने के लिए सरकारी कंप्यूटर में कॉपी करने उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त पैन ड्राइव को कपड़े के पलन्दा में डालकर, उक्त पलन्दा पर SVB(H) की मोहर लगाई जाकर इस सम्बन्ध में बनाई गई सूचि के माध्यम से उक्त पलन्दा को साक्ष्य के रूप में पुलिस कब्जा में लिया गया है। बनाई गई सूचि पर सम्बन्धित गवाहों द्वारा अपने-2 हस्ताक्षर किए गए हैं। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत का अध्ययन करने व वाईस रिकॉर्डिंग को सुनने पर धाराधीन 07 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 49 सन् 1988 के अन्तर्गत अपराध घटित होना पाया जाने पर यह लेख अभियोग पंजीकृत किए जाने के लिए ई/एच. सी. सतीश कुमार, बैल्ट संख्या 935/झज्जर के माध्यम से थाना राज्य चैकरी ब्यूरो, रोहतक भेजा जा रहा है। इस सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किए जाने उपरान्त पंजीकृत होने वाले अभियोग संख्या से सूचित किया जाए। अभियोग पंजीकृत किए जाने उपरान्त स्पेशल रिपोर्ट सम्बन्धित ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्चाधिकारियों को भिजवाई जाए। मैं स्वयं, साथी पुलिस कर्मचारियों व शिकायतकर्ता सहित सरकारी गाड़ी बाँलेरो, पंजीकरण संख्या HR-031-6880 में चालक मुख्य सिपाही सुनील कुमार, बैल्ट नं० 4/335 HAP सहित कार्यालय उपायुक्त, झज्जर जा रहा हूँ। स्थान:- कार्यालय राज्य चैकरी ब्यूरो, उप केन्द्र, झज्जर। हस्ता- (जय नारायण) निरीक्षक, राज्य चैकरी ब्यूरो, उप केन्द्र, झज्जर AT. 3.15 PM आज थाना- हरब आमदा तहसील हजा के थाना में प्राप्त होने पर मु० नं० 7 दिनांक 14.9.2020 U.S 7 P.C. Act-1988 थाना राज्य चैकरी ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कंप्यूटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान बाला को बजरीया स्पेशल मैरोन्जर/मेल द्वारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब झज्जर को देने के लिये व नकल मिशन पुलिस मय असल तहसील हवाले आरिन्दा बदस्त ई/एच. सी. सतीश कुमार, बैल्ट संख्या 935/झज्जर की जाकर रवाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक जयबीर सिंह नं० 14/मेवात की हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): JAI NARAYAN Rank (पद): 1 (Inspector)
- No. (सं.): 286RR to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (जिला):
- on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

I.L.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)



Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): *Satbir Singh*
Rank (पद): *Inspector*
No. (सं.): *14/mwt*

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):